रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-66/2024/4041/22-2-2023-17(677)/2021
लखनऊ: दिनांक:19 जुलाई, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी उदयभान करवरिया (बन्दी संख्या-512/2019) पुत्र स्व0 वशिष्ट मुनि करवरिया, निवासी-1184 कल्याणी देवी, थाना-अतरसुइया, जनपद-प्रयागराज, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-799/2014 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 व 07 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-5, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.11.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, दिनांक 30.07.2023 तक 08 वर्ष 03 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 09 माह 11 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने, जेल आचरण उत्तम होने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-66/2024/4041 (1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
3- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।